

प्ररूप सं. एसटीके-7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना)
नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार जम्मू एवं कश्मीर
हाल संख्या नं: 405-408 बाहू प्लाजा साऊथ ब्लॉक रेल हेड कम्प्लैक्स, जम्मू-180012
(एवमं एस.डी.ए. आफिस कॉम्प्लैक्स, भू तल, बेमिना बाईपास, श्रीनगर)

तारीख 08.08.2018


सूचना सं0 एसटीके-7/आरओसी/जेएमयू/2018/2

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम,2013 और सारिणी अ (191 कंपनियों की सूची) अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के मामले में।

यह इस कार्यालय के फार्म एसटीके-5 में जारी सूचना के संबंध में है। कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 248 की उप धारा (5) के अनुसरण के एतद्वारा सूचना प्रकाशित की जाती है कि सारिणी अ के अनुसार कंपनियों के नामों (191 कंपनियों की सूची) को आज तारीख 08 अगस्त, 2018 को कंपनियों के पंजीयक के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों को भंग कर दिया गया है।

संलग्नक: यथोक्त


(रुवित कुमार)
कंपनी रजिस्ट्रार
जम्मू एवं कश्मीर